छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग

रिट याचिका क्रमांक - 1189/2005

आदेश पारित दिनांक-15/06/2005

रमाकांत साहू, आत्मज- श्री बलिराम साहू, आयू- लगभग 33 वर्ष, व्यवसाय- उपनिरीक्षक, निवासी कांकेर, जिला-कांकेर (छ.ग.) -----याचिकाकर्ता

बनाम

1) गृह विभाग (पुलिस), डी.के.एस.भवन, मंत्रालय, रायपुर के माध्यम से, छत्तीसगढ़ राज्य ।
2) पुलिस अधीक्षक, जिला-कांकेर, (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता के ओर से - डॉ. एन. के. शुक्ला अधिवक्ता के साथ श्री शैलेन्द्र शुक्ल अधिवक्ता
उत्तरवादीगण के ओर से -श्री.यू.एन.एस.देव, शासकीय अधिवक्ता के साथ श्री सुधीर अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता

एकलपीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्री एल. सी. भादू

सी ए वी आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एल. सी. भादू , न्यायाधिपती,

1. याचिकाकर्ता, जो जिला कांकेर में पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत है, ने उत्तरवादी क्रमांक 2 पुलिस अधीक्षक कांकेर के निर्णय से व्यथित होकर संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के तहत यह रिट याचिका प्रस्तुत की है, जिसके तहत उत्तरवादी क्रमांक 2 याचिकाकर्ता को स्थानांतरण आदेश दिनांक 5-8-2004(उपाबंध पी-1) के अनुपालन में जिला कांकेर से जीआरपी रायपुर के लिए भारमुक्त नहीं कर रहा है।

2. इस रिट याचिका को प्रस्तुत करने के पीछे संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता दिनांक 16-7-2002 के स्थानांतरण आदेश (उपाबंध पी-3) के अनुसार जुलाई 2002 से कांकेर में उपनिरीक्षक के रूप में कार्यरत है। याचिकाकर्ता को दिनांक 5-8-2004 के आदेश (उपाबंध पी-1) के तहत जिला कांकेर से जीआरपी, रायपुर में स्थानांतरित किया गया है। तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा कई बार अभ्यावेदन किए जाने के बावजूद, उत्तरवादी संख्या 2 उसे आदेश (उपाबंध पी-1) के अनुपालन में भारमुक्त नहीं कर रहा है। इसलिए, इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने इस अनुतोष की मांग की है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 को याचिकाकर्ता को भारमुक्त करने का निर्देश दिया जाए, ताकि वह अपनी नवीन पदस्थापना स्थान अर्थात जीआरपी, रायपुर में कार्यभार ग्रहण कर सके।

3. राज्य/उत्तरवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि सम्पूर्ण बस्तर संभाग में तीन जिले हैं, अर्थात् उत्तर बस्तर कांकेर, बस्तर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और ये क्षेत्र गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, और नक्सली समस्या सर्वव्यापी और भयावह है; इसलिए, नक्सली खतरे को नियंत्रित करने के लिए नक्सल विरोधी अभियानों में प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की उपस्थिति अति आवश्यक है। याचिकाकर्ता एकमात्र व्यक्ति है जो नक्सल विरोधी, ग्रेहाउंड प्रशिक्षित है, इसलिए कांकेर जिले में उसकी उपस्थिति आवश्यक है। उपाबंध पी-1 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि स्थानांतरित व्यक्तियों को तभी भारमुक्त किया जाना चाहिए जब कोई उपयुक्त भारमुक्तकर्ता आए और स्थानांतरित व्यक्ति से कार्यभार ग्रहण करे। अभी तक किसी भी व्यक्ति ने जो नक्सल विरोधी, ग्रेहाउंड प्रशिक्षित है, कार्यभार ग्रहण नहीं किया है इसलिए सिविल सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में सामान्य प्रक्रिया पुलिस कर्मियों के विषय में लागू नहीं होगी, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बस्तर संभाग का क्षेत्र अत्यधिक नक्सल प्रभावित है। इसलिए रिट याचिका खारिज की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन.के. शुक्ला ने तर्क दिया कि यद्यपि एस.एस. महारथी और राहुल तिवारी नामक दो व्यक्ति पहले ही कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, फिर भी याचिकाकर्ता को भारमुक्त नहीं किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दिनांक 13-2-2001 की सरकारी नीति (उपाबंध पी-5) के अनुसार, जो उपनिरीक्षक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में दो वर्ष तक प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार कार्य कर चुके हैं, वे तीन पुलिस रेंज में से किसी एक रेंज में स्थानांतरित होने के अधिकारी हैं। इसलिए, इस नीति को देखते हुए भी याचिकाकर्ता को भारमुक्त किया जाना चाहिए था।

6. जवाब में कहा गया है कि यह सही है कि राहुल तिवारी एवं एस.एस. महारथी ने कांकेर जिले में कार्यभार ग्रहण किया है, लेकिन वे मेज़ो प्रशिक्षित नहीं हैं।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने के पश्चात मैंने संबंधित अभिलेख का अवलोकन किया है। स्थानांतरण आदेश उपाबंध पी-1 के अवलोकन से पता चलता है कि इस आदेश द्वारा कुल 18 उपनिरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है तथा स्थानांतरित कर्मचारियों (उपनिरीक्षकों) के नाम के नीचे यह टिप्पणी संलग्न की गई है कि अनुसूचित क्षेत्र/नक्सल प्रभावित क्षेत्र से

स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों को उनके भारमुक्तकर्ता के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात ही भारमुक्त किया जाए।

8. यह सही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की आवश्यकता होती है, विशेषकर जब वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने और रोकने के लिए तैनात होते हैं, तो प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की हमेशा आवश्यकता होती है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन साथ ही, सरकार ने स्वयं दिनांक 13-2-2001 (उपाबंध पी-5) के दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी उपनिरीक्षक या निरीक्षक ने प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नक्सल प्रभावित क्षेत्र में दो वर्ष की सेवा की है, तो वह तीन पुलिस रेंज में से किसी भी रेंज में स्थानांतरण का अधिकार रखता है। नीति का यह खंड दर्शाता है कि पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा रखने और बदलते रहने के लिए जिससे की वे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य हेतु सक्षम बन सकें, सरकार द्वारा नक्सल क्षेत्र में एक बार में उनकी पदस्थापना के लिए दो वर्ष की अवधि को पर्याप्त माना गया है। इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए, इस शर्त को नीति दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यह सर्वविदित है कि यदि किसी कर्मचारी को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अनिश्चित काल तक काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो इससे संबंधित कर्मचारी के मनोबल और कार्यकुशलता पर असर पड़ना तय है, और इसीलिए सरकार ने सभी पक्ष-विपक्ष को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण नीति में यह खंड शामिल किया है कि यदि किसी उपनिरीक्षक या निरीक्षक ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लगभग दो वर्ष तक संतोषजनक सेवा की है, तो वह तीनों रेंज में से किसी भी एक रेंज में स्थानांतरण का अधिकार रखता है।

10. इसलिए अधिकारियों को इस पहलू पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा यदि कोई पुलिस कर्मी लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहेगा तो उसकी रुचि अपने कर्तव्यों के प्रति समाप्त हो सकती है और वह उदासीन रवैया भी अपना सकता है।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकरण के इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए, दो वर्ष की सेवा पूरी होने पर, याचिकाकर्ता को उपाबंध पी-1 के अनुसार नक्सली क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था। जहां तक भारमुक्तकर्ता के कार्यभार ग्रहण करने का प्रश्न है, इस शर्त को अनिश्चित काल के लिए लागू नहीं किया जा सकता। इसे उचित अवधि के लिए लागू किया जा सकता है ताकि यदि भारमुक्तकर्ता ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, तो पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को

भारमुक्तकर्ता को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश देने के लिए कह सकता है या मुख्यालय को स्थानांतरित कर्मचारी को कार्यभार मुक्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को पदस्थ करने के लिए कह सकता है। जब राज्य सरकार याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करते समय किसी अन्य व्यक्ति को पदस्थ करती है, तो उस आदेश को लागू करना सरकार का कर्तव्य है, और यदि प्रतिस्थापक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, तो उन्हें कोई अन्य प्रतिस्थापक तलाशना चाहिए, ताकि स्थानांतरित कर्मचारी को भारमुक्त किया जा सके। इस संबंध में यदि आदेश उपाबंध पी-1 पर गौर करें तो यह 5-8-2004 को जारी हुआ था तथा अब तक इस आदेश को जारी हुए दस माह से अधिक समय हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी याचिकाकर्ता को भारमुक्त नहीं किया गया है। साथ ही याचिकाकर्ता का स्थानांतरण करीब 150 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। यदि उसकी सेवाओं की आवश्यकता हो तो उसे रायपुर से कभी भी बुलाया जा सकता है, परंतु उपाबंध पी-1, स्थानांतरण आदेश/स्थानांतरण नीति को देखते हुए याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए अभिरक्षित नहीं किया जा सकता है। जब सरकार ने अपना स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया है, तो यह सरकार/संबंधित प्राधिकारियों का काम है कि वे उचित समय के भीतर उचित व्यवस्था करें, ताकि याचिकाकर्ता स्थानांतरित स्थान पर अपना कार्यभार संभाल सके। इसलिए, किसी भी परिस्थिति में उत्तरवादी संख्या 2 की कार्रवाई को उचित नहीं माना जा सकता है, और यह मनमाना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है और उत्तरवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता को उसकी वर्तमान तैनाती के स्थान से भारमुक्त करने का निर्देश दिया जाता है ताकि वह नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर सके। हालांकि, उत्तरवादियों को याचिकाकर्ता को भारमुक्त करने के लिए आज से एक और महीने का समय दिया जाता है और इस बीच, वे याचिकाकर्ता के लिए किसी अन्य भारमुक्तकर्ता की व्यवस्था कर सकते हैं।

सही/-

(एल. सी. भादू)

न्यायाधीश

(अधिवक्ता अभिषेक पांडे द्वारा अनुवाद किया गया)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur